

निजी सुरक्षा  
एनवीईक्यू स्तर 4 – कक्षा 12  
एसएस 403—एनक्यू 2013 : सुरक्षा क्षेत्र में कानूनी और  
प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं (उन्नत)

छात्र कार्यपुस्तिका



प.सुश.केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान  
श्यामला हिल्स, भोपाल

© पं.सुश.केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल, 2012

यह प्रकाशन कॉपीराइट द्वारा सुरक्षित है। कॉपीराइट अधिनियम द्वारा अनुमति प्रयोजनों के अलावा जनता द्वारा पूर्व लिखित अनुमति के बिना इसका पुनः उत्पादन, अंगीकार, इलेक्ट्रॉनिक भण्डार और सम्प्रेषण निषिद्ध है।

## छात्र विवरण

छात्र का नाम : .....

छात्र का रोल नंबर : .....

बैच शुरू होने की तिथि : .....

## आभार

हम प्रो. परवीन सिंकलेयर, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), प्रो. आर. बी., शिवगुंडे, संयुक्त निदेशक, पं. सु. श. केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पीएसएससीआईवीई), श्री बसाब बनर्जी, प्रमुख, मानक और गुणवत्ता आश्वासन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को पाठ्यचर्या तथा अध्यापन – अधिगम सामग्रियों के विकास की पूरी प्रक्रिया के मार्गदर्शन और संचालन के लिए धन्यवाद प्रेमित करते हैं। हम कुंवर विक्रम सिंह, अध्यक्ष, सुरक्षा ज्ञान और कौशल विकास परिषद (एसकेएसडीसी), लैफिटनेंट जनरल एस. एस. चहल (सेवानिवृत्त), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एसकेएसडीसी और मेजर जनरल भूपेन्द्र सिंह घोट्रा (सेवानिवृत्त), मुख्य प्रचालन अधिकारी, एसकेएसडीसी को उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सहायता के लिए हार्दिक आभार और धन्यवाद देते हैं।

इस इकाई के विकास में लैफिटनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) प्रदीप बजाज, जी-2, सेक्टर - 25, नोएडा, कर्नल (सेवानिवृत्त), उत्कर्ष एस. राठौर, उप निदेशक (मानक और क्यूए), सुरक्षा ज्ञान और कौशल विकास परिषद (एसकेडीएससी), 305 सिटी कोर्ट, सिकंदरपुर, एमजी रोड, गुडगांव, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त), उमंग सेठी, सलाहकार, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड सिक्योरिटी ट्रेनिंग एण्ड मैनेजमेंट, नई दिल्ली, श्री रथिन कुमार बैनर्जी, निदेशक, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड सिक्योरिटी ट्रेनिंग एण्ड मैनेजमेंट प्रा. लि., 45 चिम्बाई रोड, सेंट एण्ड्रूज चर्च के पीछे, ऑफ हिल रोड, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई, सुश्री ललिता अथर, प्रमुख – सामग्री विकास, एएसटीएम 45 चिम्बाई रोड, सेंट एण्ड्रूज चर्च के पीछे, ऑफ हिल रोड, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई, श्रीमती नीति माथुर, अध्यापिका (अंग्रेजी), आनंद विहार स्कूल, भोपाल, श्री बलविंदर सिंह, व्यावसायिक अध्यापक (सुरक्षा), जीएसएसएस, उगाला, अंबाला, श्री राकेश मेहता, व्यावसायिक अध्यापक (सुरक्षा), शासकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, मुस्तफाबाद (यमुना नगर), श्री प्रदीप कुमार, व्यावसायिक अध्यापक (सुरक्षा), जीएसएसएस, रोहतक के कठोर प्रयासों और प्रतिबद्धता हेतु धन्यवाद की पात्र हैं।

हम डॉक्टर विनय स्वरूप मेहरोत्रा, एसो. प्रोफेसर और प्रमुख, पाठ्यचर्या विकास और मूल्यांकन कार्य समूह, पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई. और कर्नल (सेवानिवृत्त) तपेश चंद्र सेन के प्रति आभारी हैं जिन्होंने सामग्री को अंतिम रूप देने तथा कार्यपुस्तिका के संपादन में पर्याप्त योगदान दिया है।

विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
आभार	4
प्रस्तावना	6
आपकी कार्यपुस्तिका के बारे में	8
परिचय	10
सत्र 1 : देश की कानून और व्यवस्था	12
सत्र 2 : विशेष अधिनियम	20
सत्र 3 : पीएसएआरए—2005 के अनुसार सुरक्षा कार्मिकों का प्रशिक्षण	24
सत्र 4 : पीएसएआरए—2005 के अनुसार सत्यापन	29
सत्र 5 : निजी सुरक्षा कार्मिकों की सेवाशर्तें	33
शब्दावली	41

## प्रस्तावना

राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा, 2005 में सिफारिश की गई है कि विद्यालयों में बच्चों के जीवन को विद्यालय के बाहरी जीवन के साथ जोड़ना अनिवार्य है। इस सिद्धांत के अनुसार किताबी अध्ययन की परंपरा छोड़ देनी चाहिए जो हमारे तंत्र को लगातार एक आकार देती आई है और विद्यालय, घर, समुदाय और कार्यस्थल के बीच अंतराल लाती है।

“सुरक्षा क्षेत्र में कानूनी और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं (उन्नत)” पर यह छात्र कार्य पुस्तिका मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी), भारत सरकार के एक प्रयास, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता रूपरेखा (एनवीईक्यूएफ) के कार्यान्वयन हेतु विकसित अहंता पैकेज का भाग है, जिसमें विद्यालयों, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों, तकनीकी शिक्षा संस्थानों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अपनाई जाने वाली राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अहंता प्रणाली के लिए सामान्य सिद्धांत और दिशा निर्देश तय किए जाते हैं। यह संकल्पना की गई है कि एनवीईक्यूएफ से अहंताओं की पारदर्शिता, विषम क्षेत्रीय अधिगम, छात्र केंद्रित अधिगम और छात्र को विभिन्न अहंताओं के बीच चलनशीलता की सुविधा को बढ़ावा मिलेगा और इस प्रकार जीवन भर अधिगम को प्रोत्साहन मिलता रहेगा।

यह छात्र कार्यपुस्तिका, जो कक्षा 11 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए व्यावसायिक अहंता पैकेज का एक भाग है, इसे विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा बनाया गया था। निजी सुरक्षा उद्योग के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा अनुमोदित सुरक्षा ज्ञान और कौशल विकास परिषद (एसकेएसडीसी) द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनओएस) का विकास किया गया। राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक प्रतिस्पर्द्धा मानकों और दिशानिर्देशों का एक सेट है जिसे कार्य स्थल में प्रभावी निष्पादन के लिए आवश्यक कौशलों तथा ज्ञान के आकलन एवं मान्यता देने हेतु निजी सुरक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा पृष्ठांकित किया गया है।

पं. सुंदरलाल रामा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पीएसएससीआईवीई), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने सुरक्षा ज्ञान और कौशल विकास परिषद के साथ मिलकर एनवीईक्यू के लिए स्तर 1 से 4 तक निजी सुरक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक अहंता पैकेज के लिए मॉड्यूलर पाठ्यचर्चा और अधिगम सामग्रियों (इकाइयों) का विकास किया है, स्तर 1 कक्षा 9 के समकक्ष है। एनओएस के आधार पर मूल दक्षताओं (ज्ञान, कौशल और क्षमताएं) से संबंधित व्यावसाय को पाठ्यचर्चा तथा अधिगम मॉड्यूल (इकाइयों) के विकास के लिए अभिज्ञात किया गया था।

इस छात्र कार्य पुस्तिका में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की अनिवार्य नम्यता, विभिन्न विषय क्षेत्रों के बीच स्पष्ट सीमा रेखाओं को तोड़ने के लिए अनिवार्य माने गए अधिगम के रटने के पुराने तरीके को निरुत्साहित करने का प्रयास किया गया है। इस कार्य पुस्तिका में पूर्णता और आस पास नजर दौड़ाने के अवसरों, छोटे समूहों में चर्चा तथा स्वयं करने के अनुभव की आवश्यकता वाली गतिविधियों को स्थान तथा उच्च प्राथमिकता देकर इन प्रयासों को संवर्धित करने का प्रयास किया गया है। हमें आशा है कि इन साधनों से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में बताई गई बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकेंगे।

इस प्रयास की सफलता उन कदमों पर निर्भर करती है जो विद्यालयों के प्रधानाचार्य और अध्यापक अपने अधिगम को दर्शाने तथा काल्पनिक और कार्य के दौरान की जाने वाली गतिविधियों तथा प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिए अपने बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए उठाएंगे। कौशल विकास कवायदों और मान्यताओं एवं रचनात्मकता के पोषण में छात्रों की भागीदारी तभी संभव है यदि हम अधिगम में बच्चों को भागीदार के रूप में शामिल करें और वे मात्र सूचना के ग्राही नहीं बनें। ये लक्ष्य विद्यालय की दैनिक दिनचर्या तथा कार्यशैली में पर्याप्त बदलाव लाते हैं। प्रतिदिन की समय तालिका में नम्यता गतिविधियों के कार्यान्वयन में सक्रियता बनाए रखने के लिए अनिवार्य होगी और अध्यापन और प्रशिक्षण के लिए अध्ययन दिवसों की आवश्यक संख्या को बढ़ाया जाएगा।

## कार्यपुस्तिका के बारे में

यह कार्य पुस्तिका आपको दक्षता इकाई एसएस 403 – एनक्यू 2013 : सुरक्षा क्षेत्र में कानूनी और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं (उन्नत) पूरा करने में सहायता देने के लिए है। आपको कक्षा कक्ष में, कार्यस्थल पर या आपके अध्यापक या प्रशिक्षक के मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण में अपने समय के अनुसार इसे इस्तेमाल करना चाहिए।

इस कार्यपुस्तिका में दिए गए अनुभागों से दक्षता की इकाई के विभिन्न पक्षों पर संगत ज्ञान और कौशल (मृदु और कठोर) अर्जित करने में आपको सहायता मिलेगी। प्रत्येक सत्र इतना छोटा है कि इसे आसानी से अगले सत्र पर जाने से पहले समझा और अपनाया जा सकता है। दृश्य के माध्यम से जानकारी देने और पाठ को जीवंत तथा आपके लिए अंतः क्रियात्मक बनाने हेतु एनिमेटिड तस्वीरें और फोटो शामिल किए गए हैं। आपकी कल्पना का उपयोग करते हुए आप स्वयं अपने कुछ चित्र बनाने का प्रयास कर सकते हैं या अपने अध्यापक की सहायता ले सकते हैं। आइए अब देखें कि इन सत्रों के अनुभागों में आपके लिए क्या जानकारी है।

### अनुभाग 1 : परिचय

इस अनुभाग में आपको इकाई के विषय का परिचय दिया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि आप इकाई में शामिल विभिन्न सत्रों में क्या सीखेंगे।

### अनुभाग 2 : संगत ज्ञान

इस अनुभाग में आपको सत्र में शामिल किए गए विषयों पर संगत जानकारी दी गई है। इस अनुभाग के माध्यम से विकसित ज्ञान से आप कुछ गतिविधियों के निष्पादन कर सकेंगे। आपको अभ्यास पूरा करने से पहले विषय के विभिन्न पक्षों पर एक समझ विकसित करने के लिए पर्याप्त सूचना पढ़नी चाहिए।

### अनुभाग 3 : अभ्यास

प्रत्येक सत्र में अभ्यास होते हैं, जिन्हें आप समय पर पूरा करें। आप कक्षा कक्ष में, घर में या कार्य स्थल पर इन गतिविधियों का निष्पादन करेंगे। इस अनुभाग में शामिल की गई गतिविधियों से आपको अनिवार्य ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति के विकास में सहायता मिलेगी जिनकी आवश्यकता आपको कार्यस्थल पर कार्यों के निष्पादन में सक्षमता पाने के लिए है। गतिविधियां आपके अध्यापक या प्रशिक्षक के पर्यवेक्षण में की जानी चाहिए जो आपको कार्यों को पूरा करने का मार्गदर्शन तथा आपके निष्पादन में सुधार के लिए प्रतिक्रिया भी देंगे। इसे प्राप्त करने के लिए आपके अध्यापक या प्रशिक्षक के परामर्श से एक समय तालिका बनाएं और निर्दिष्ट स्तरों या मानकों का पालन कठोरता पूर्वक करें। यदि आपको समझाई गई कोई बात स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती है तो बेहिचक अपने अध्यापक या प्रशिक्षक से पूछें।

## **अनुभाग 4 : मूल्यांकन**

इस अनुभाग में शामिल किए गए समीक्षा प्रश्नों से आपको अपनी प्रगति की जांच करने में सहायता मिलेगी। आपको अगले सत्र में जाने से पहले इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए।

## परिचय

भारत में सुरक्षा संबंधी कई खतरे हैं। अपराधियों तथा आतंकवादियों द्वारा आमतौर पर सरकारी संगठनों, संस्थानों, सार्वजनिक तथा धार्मिक स्थानों, संवेदनशील प्रतिष्ठानों और व्यावसायिक स्थानों को अपना लक्ष्य बनाया जाता है।

इसलिए, सुरक्षा की जरूरत कई गुना बढ़ गई है। हालांकि निजी सुरक्षा के पास न तो कोई अस्त्र होता है और न ही उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त है, लेकिन फिर भी सुरक्षा कार्मिकों की चौकसी के कारण उनकी उपस्थिति से अपराध तथा हिंसा में कुछ हद तक कमी आती है। निजी सुरक्षा एजेंसियों की सुरक्षा की गुणवत्ता सरकार के लिए चिन्ता का विषय बना हुआ है। देश में निजी सुरक्षा एजेंसियों को विनियमित करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2005 में निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम (पीएसएआरए) पारित किया। राज्यों से भी इसी प्रकार के नियम तैयार करके लागू करने का अनुरोध किया गया।

पीएसएआरए—2005 में निजी सुरक्षा एजेंसियों तथा सुरक्षा कार्मिकों को लाइसेंस प्रदान करने, कार्यपद्धति तथा प्रशिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा—निर्देश निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक राज्य में एक नियंत्रण प्राधिकारी है जो पीएसएआरए—2005 के प्रावधानों के अनुसार निजी सुरक्षा एजेंसियों की लाइसेंसिंग तथा प्रशिक्षण से संबंधित पहलुओं की निगरानी करते हैं।

इसलिए निजी सुरक्षा कार्मिकों के पास कानून और व्यवस्था लागू करने के लिए कोई कानूनी प्राधिकार नहीं है। निजी सुरक्षा कार्मिकों के अधिकार तथा जिम्मेदारियाँ सामान्य नागरिकों के बराबर ही हैं। लेकिन उनकी कार्रवाइयों तथा चौकसी के कारण पुलिस, दमकल कर्मियों तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं को सुरक्षा एवं संरक्षा

संबंधी गम्भीर घटनाओं को रोकने में सहायता मिलती है। इसलिए निजी सुरक्षा कार्मिकों को जान-माल तथा परिसरों की सुरक्षा के लिए पुलिस, दमकल तथा आपातकालीन सेवाओं के घनिष्ठ सहयोग से काम करना चाहिए।

इस अध्याय से आपको देश की कानून व्यवस्था, पीएसएआरए-2005 तथा अन्य नियमों एवं विनियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, जिनसे निजी सुरक्षा कार्मिकों की सेवा शर्ते प्रभावित होती हैं।

## सत्र 1 : देश की कानून और व्यवस्था

### संगत ज्ञान

भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को मानवाधिकार, धर्म, जीवन तथा सम्पत्ति के संबंध में समान अधिकार प्रदान करता है।

भारत में कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय है तथा राज्य पुलिस भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के अनुसार जाँच-पड़ताल करती है और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है। आईपीसी देश की मुख्य अपराध संहिता है जो जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में लागू है। इसमें उन सभी अपराधों तथा उनकी शास्तियों की सूची दी गई है जिन्हें करने पर संबंधित व्यक्ति पर आरोप लगाए जा सकते हैं।

अपराध प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर, भारत में लागू आपराधिक न्याय के प्रशासन की कार्य पद्धति का विधान है। इसमें किसी अपराध की जाँच-पड़ताल, संदिग्ध अपराधियों को हिरासत में लेने तथा साक्ष्य एकत्रित करने और अभियोजन की कार्य पद्धतियों का वर्णन किया गया है।

### अपराध के प्रकार

#### संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराध

संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनके लिए पुलिस अधिकारी न्यायालय के वारंट के बिना ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरी ओर,

असंज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनके लिए पुलिस अधिकारी केवल न्यायालय से वारंट प्राप्त करने के बाद ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं।

असंज्ञेय अपराध आमतौर पर संज्ञेय अपराध की तुलना में

अपेक्षाकृत कम गम्भीर अपराध होते हैं।

### **ज़मानती और गैर-ज़मानती अपराध**

ज़मानती अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होने और प्रतिभू (ज़मानत) प्रस्तुत करने पर मजिस्ट्रेट द्वारा ज़मानत मंजूर की जा सकती है।

गैर-ज़मानती अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें गिरफ्तार व्यक्ति ज़मानती अपराधों की तरह ज़मानत पर छोड़े जाने के स्वतः पात्र नहीं होते हैं।

### **भारतीय दण्ड संहिता—1860**

#### **निजी सुरक्षा कार्मिकों के संरक्षण की धाराएं**

पुलिस के लिए सभी स्थानों पर उपस्थित रहना संभव नहीं है, तब नागरिकों की सुरक्षा कौन करेगा? स्पष्ट है कि निजी सुरक्षा कार्मिक ही नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा करते हैं। अन्य नागरिकों की तरह निजी सुरक्षा कार्मिकों को जान-माल की सुरक्षा करने के उद्देश्य से नेकनीयती से किए गए कार्य के लिए कानून से कुछ बचाव प्राप्त है। निजी सुरक्षा कार्मिकों के मामले में लागू आईपीसी की संबंधित धाराएँ नीचे दी गई हैं :—

**धारा 96** में बताया गया है कि — “निजी रक्षा के अधिकार के रूप में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है”। निजी रक्षा का यह अधिकार प्रत्येक नागरिक का है और जहाँ भी आवश्यक हो, इसका प्रयोग किया जा सकता है।

**धारा 97 :** इसमें यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का कुछ सीमाओं के अन्तर्गत रक्षा करने का अधिकार है :

- मानव शरीर को प्रभावित करने वाले किसी अपराध से रक्षा करने के लिए अपना शरीर तथा किसी अन्य व्यक्ति का शरीर।

- अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति की चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, आपराधिक अतिक्रमण या कोई अन्य ऐसा कृत्य जिसके द्वारा उपर्युक्त में से कोई भी अपराध करने का प्रयास किया जाता है।

**धारा 100 :** इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि निजी रक्षा के अधिकार में मृत्यु अथवा कोई अन्य क्षति घटित होने पर भी लागू है :

आक्रमण के कुछ ऐसे कृत्य हैं जो इतने गम्भीर हैं कि कानून में प्रतिरक्षक को बल का प्रयोग करने का प्राधिकार दिया गया है, भले ही इससे आक्रमणकर्ता की मृत्यु घटित हो।

आक्रमण के इन कृत्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- ऐसा आक्रमण जिसमें मृत्यु घटित होने की पर्याप्त आशंका है।
- ऐसा आक्रमण जिसके परिणामस्वरूप गम्भीर चोट लगने की पर्याप्त आशंका हो।
- ऐसा आक्रमण जो बलात्कार करने के उद्देश्य से किया गया हो।
- ऐसा आक्रमण जो अस्वावाभिक चोट पर तृप्त होने के उद्देश्य से किया गया हो।
- ऐसा आक्रमण जो अपहरण करने या भगा ले जाने के उद्देश्य से किया गया हो।
- ऐसा आक्रमण जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को अवैध रूप में कैद करके रखा गया हो जिससे वह स्वयं को रिहा करने के लिए लोक प्राधिकारियों से सम्पर्क नहीं कर सके।

कानून में प्रत्येक नागरिक को यह प्राधिकार दिया गया है कि यदि उसे पर्याप्त आशंका है कि उसका जीवन खतरे में है या उसके शरीर को गम्भीर चोट पहुँच सकती है तो वह अपनी रक्षा के लिए बल का प्रयोग कर सकता है और ऐसा करने पर यदि आक्रमणकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो यह माना जाएगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन

उसका कृत्य केवल रक्षा के प्रयोजन से ही होना चाहिए जो आक्रमणकर्ता को आक्रमण से रोकने तक सीमित हो, उससे अधिक नहीं।

**धारा 102 :** शरीर की निजी रक्षा का अधिकार उस समय आरम्भ हो जाता है जब खतरे की पर्याप्त आशंका हो या कोई धमकी प्राप्त हुई हो, भले ही अपराध घटित नहीं हुआ है। जब तक खतरे की पर्याप्त आशंका बनी रहती है तब तक ऐसे अधिकार जारी रहेंगे।

### सम्पत्ति की निजी रक्षा का अधिकार

**धारा 103 :** प्रत्येक व्यक्ति का अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति की चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, तथा आपराधिक अतिक्रमण से रक्षा करने का अधिकार है। यदि ऐसी पर्याप्त आशंका है कि निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग नहीं करने पर मृत्यु हो सकती है तो उसे अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए बल का प्रयोग करने का प्राधिकार प्राप्त है, भले ही ऐसा करने के परिणामस्वरूप आक्रमणकर्ता की मृत्यु हो जाए।

अतः अपने नियोजक की सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए नियोजित निजी सुरक्षा कार्मिक कानून द्वारा संरक्षित है। लेकिन यदि उसके पास पुलिस को घटना की सूचना देने का पर्याप्त समय है तो ऐसी रक्षा के लिए बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। निजी रक्षा या सम्पत्ति की रक्षा के अधिकार का प्रयोग करते समय वह आक्रमणकर्ता को रोकने के लिए आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग नहीं करेगा/करेगी या क्षति नहीं पहुंचाएगा /पहुंचाएगी।

### अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973

**धारा 37 :** जनता कब मजिस्ट्रेट तथा पुलिस की मदद कर सकती है। प्रत्येक नागरिक कानून से नज़र बचा रहे किसी आरोपित व्यक्ति को गिरफ्तार करवाने में मजिस्ट्रेट या पुलिस की मदद करने के लिए बाध्य है।

**धारा 39 :** कुछ अपराधों के मामले में जनता द्वारा सूचना दिया जाना। यदि किसी व्यक्ति को कोई अपराध घटित होने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा घटाए जाने के आशय की कोई जानकारी है तो वह मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को अविलम्ब सूचित करेगा।

**धारा 43 :** निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी तथा ऐसी गिरफ्तारी की प्रक्रिया। कोई भी नागरिक किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस को बुला सकता है जिसने उसके सामने गैर-ज़मानती या संज्ञेय अपराध किया है या वह घोषित अपराधी है। गिरफ्तार व्यक्ति को निकटतम थाने तक ले जाया जाएगा।

**धारा 46 : गिरफ्तारी किस प्रकार की जाती है?**

- गिरफ्तार करते समय पुलिस अधिकारी या ऐसा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति के शरीर को वास्तव में छुएगा या कैद करेगा, जब तक कि वाणी या कार्रवाई द्वारा हिरासत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है।
- यदि वह व्यक्ति उसे गिरफ्तार करने के प्रयासों का जबरदस्ती प्रतिरोध करता है, या गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करता है, तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक सभी उपाय कर सकता है।
- इस धारा में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय मृत्यु का कोई अधिकार नहीं दिया गया है।
- सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी या नज़रबन्दी की कार्रवाई कोई केवल महिला सुरक्षा कार्मिक द्वारा की जाएगी।

**धारा 49 :** कोई अनावश्यक प्रतिबंध नहीं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर उसके पलायन को रोकने के लिए आवश्यकता से अधिक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।

**धारा 52 :** आक्रामक हथियारों को कब्जे में लेने की शक्तियां। पुलिस अधिकारी या इस धारा के अन्तर्गत गिरफ्तार करने वाला कोई अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से उसके पास उपलब्ध आक्रामक हथियार ले लेगा और ऐसे लिए गए हथियार को पुलिस या न्यायालय को सुपुर्द करेगा।

## अभ्यास

1. किसी पुलिस थाने में जाँ और थानेदार से मिलें और उनसे थाने की कार्यप्रणाली से आपको संक्षेप में अवगत कराने का अनुरोध करें।
2. आईपीसी की विभिन्न धाराओं को लागू करने की पद्धति के बारे में उनके साथ चर्चा करें।

## आकलन

### क. लघु उत्तर वाले प्रश्न

1. संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराध क्या—क्या हैं?

.....  
.....  
.....  
.....

2. ज़मानती तथा गैर—ज़मानती अपराध क्या—क्या हैं?

.....  
.....  
.....  
.....

3. आईपीसी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

.....  
.....  
.....  
.....

4. अपराध प्रक्रिया संहिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

.....  
.....  
.....  
.....

5. पीएसएआरए—2005 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें?

.....  
.....  
.....  
.....

6. आईपीसी की धारा 96 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें?

.....  
.....  
.....  
.....

#### ख. रिक्त स्थान भरें :

1- आईपीसी की धारा 103 से 105 में .....  
की रक्षा से संबंधित अधिकार का प्रावधान किया गया है।

2- प्रत्येक राज्य का निजी सुरक्षा एजेंसी को लाइसेंस तथा  
प्रशिक्षण प्रदान करने की निगरानी करने का .....  
प्राधिकार है।

3- पीएसएआरए, 2005 में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए  
निम्नलिखित पहलुओं पर दिशा-निर्देश दिए गए है :-

- (क)
- (ख)
- (ग)

## आकलन गतिविधि के लिए जांचसूची

निम्नलिखित जांचसूची का उपयोग करते हुए देखें कि क्या आप आकलन गतिविधि के लिए सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं।

### भाग क

इनके बीच में अंतर

- (क) संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराध
- (ख) ज़मानती और गैर-ज़मानती अपराध

### भाग ख

निम्नलिखित कक्षा में चर्चा करें

वे कौन से अधिनियम हैं जिनके अनुसार आक्रामकता / हमला करने पर कानून बचावकर्ता को बल प्रयोग का अधिकर देता है?

### भाग ग

#### निष्पादन मानक

निष्पादन मानकों में ये शामिल हैं किंतु इन तक सीमित नहीं हैं :

निष्पादन मानक	हाँ	नहीं
आईपीसी तथा सीआरपीसी की परिस्थिति से संबंधित विभिन्न धाराओं के बारे ज्ञान का प्रदर्शन करें		

## सत्र 2 : विशेष अधिनियम

### संगत ज्ञान

आईपीसी तथा सीआरपीसी के अतिरिक्त, देश में सुरक्षा संबंधी विभिन्न पहलुओं पर कार्रवाई करने के लिए संसद द्वारा कई विशेष अधिनियम तथा अध्यादेश पारित किए गए हैं।

#### मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

प्रत्येक नागरिक का अपना मानवाधिकार है। पूरे विश्व में मानवाधिकार का सम्मान किया जाता है। मानवाधिकार वस्तुतः ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य जीवन को गरिमा प्रदान करते हैं। इनमें, जीवन, मूलभूत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत विकास, रोजगार, धर्म तथा अन्य विश्वास अपनाने आदि के अधिकार शामिल हैं। अपने नागरिकों के मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भारत ने मानवाधिकार आयोग का गठन किया है। राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक आयोग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष इसके सदस्य हैं। राज्य स्तर पर भी मानवाधिकार आयोग हैं।

आयोग देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों को देखता है और उनकी जाँच करता है तथा निर्देश जारी करता है। यह सेना बल के सदस्यों के खिलाफ मानवाधिकार से संबंधित शिकायतों की भी जाँच करता है। मानवाधिकार न्यायालय स्थापित करने का भी प्रावधान है।

प्रक्रिया के अनुसार, अपेक्षा यह है कि शिकायतों की जाँच पहले संबंधित विभाग द्वारा करके तदनुसार कार्रवाई की जाएगी और यदि विभाग की प्रतिक्रिया पर्याप्त नहीं है तो मानवाधिकार आयोग अपनी जाँच कर सकता है।

## गैर-कानूनी कार्यकलाप (निरोधक) संशोधन अधिनियम, 2011

गैर-कानूनी कार्यकलाप (निरोधक) संशोधन अधिनियम, 2011 का उद्देश्य भारत की सत्यनिष्ठा तथा प्रभुसत्ता के खिलाफ आपराधिक एवं आतंकवादी कार्यकलापों के खिलाफ कार्रवाई करना है।

इस अधिनियम में व्यक्तियों तथा एसोसिएशनों (आतंकवादी कार्यकलापों से संबंधित) के गैर-कानूनी कार्यकलापों के लिए प्रभावी निरोधक उपाय प्रदान किए गए हैं।

अधिनियम के ‘आतंकवादी कार्य’ की परिभाषा में निम्नलिखित शामिल हैं :

- जाली मुद्रा तैयार करने, तस्करी करने या परिचालित करने के जरिए ऐसे कार्यकलाप जिनसे भारत की आर्थिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है।
- हथियारों, विस्फोटकों तथा रासायनिक, जैविक, विकिरणीय एवं नाभिकीय सामग्रियों की खरीद से संबंधित कार्यकलाप।
- नज़रबंदी, अपहरण, लोगों की हत्या करने या नुकसान करने की धमकी देने या सरकार को कुछ माँगों को पूरा करने के लिए मजबूर करने से संबंधित कार्यकलाप।
- आतंकवादी कार्यकलापों के वित्तपोषण के लिए धनराशि एकत्रित करने या उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यकलाप।

## अभ्यास

### सामूहिक चर्चा

मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा आतंकवादी कार्यकलापों से संबंधित समाचारों के लिए समाचार-पत्र देखें। साथी विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करें और निष्कर्षों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

## आकलन

### लघु उत्तर वाले प्रश्न

- “मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993” पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

.....  
.....  
.....  
.....

- “गैर-कानूनी कार्यकलाप (निरोधक) संशोधन अधिनियम, 2011” पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

.....  
.....  
.....  
.....

## आकलन गतिविधि के लिए जांचसूची

निम्नलिखित जांचसूची का उपयोग करते हुए देखें कि क्या आप आकलन गतिविधि के लिए सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं।

#### भाग क

कानूनी और गैर-कानूनी कार्यकलाप के बीच अंतर

#### भाग ख

निम्नलिखित कक्षा में चर्चा करें

- (क) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
- (ख) गैर-कानूनी कार्यकलाप (निरोधक) संशोधन अधिनियम, 2011

## भाग ग

### निष्पादन मानक

निष्पादन मानकों में ये शामिल हैं किंतु इन तक सीमित नहीं हैं :

निष्पादन मानक	हाँ	नहीं
एक सुरक्षा अधिकारी के रूप में राजनीतिक गतिविधियों से निपटने के लिए दी गई स्थिति में मानव अधिकार का ज्ञान प्रदर्शित करना।		

## सत्र 3 : पीएसएआरए—2005 के अनुसार सुरक्षा कार्मिकों का प्रशिक्षण

### संगत ज्ञान

**निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम – 2005 :** निजी सुरक्षा क्षेत्र न केवल जान-माल की सुरक्षा उपलब्ध कराता है बल्कि बड़ी संख्या में पुरुषों तथा महिलाओं को देश में रोजगार भी प्रदान करता है। इस क्षेत्र में निजी सुरक्षा एजेंसियों के कामकाज को विनियमित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2005 में निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम लागू किया। जबकि पीएसएआरए—2005 में एक बड़ा ढांचा उपलब्ध कराया गया है, राज्य सरकारों से अपेक्षा है कि वे अधिनियम को कार्यान्वित करने से संबंधित नियम प्रवर्तित करेंगे और उन्हें लागू करेंगे।

**अधिनियम के महत्वपूर्ण तत्व :** अधिनियम में निजी सुरक्षा उद्योग द्वारा अपनाए जाने वाले अनिवार्य नियमों को शामिल किया गया है और ये इस प्रकार हैं :–

- निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंस प्राप्त करने तथा उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया।
- प्रशिक्षण के मानक, प्रशिक्षण स्तर तथा वास्तविक मानक।
- निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा रखे जाने वाले दस्तावेज।
- निजी सुरक्षा एजेंसी के प्रबंध वर्ग तथा सुरक्षा कार्मिकों की वैयक्तिक पड़ताल।
- पर्यवेक्षकों की आवश्यकता।

**सुरक्षा कार्मिकों का प्रशिक्षण :** अधिनियम में प्रशिक्षण के घंटे निर्धारित किए गए हैं। अधिनियम में प्रशिक्षण की अवधि भी निर्धारित की गई है जिसमें भूतपूर्व सैनिकों तथा भूतपूर्व पुलिस कार्मिकों को निजी सुरक्षा गारद के रूप में रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण पूरा करना है।

नए प्रशिक्षार्थियों के लिए प्रशिक्षण 160 घंटों का होगा जिसमें से 100 घंटे क्लास रूम में होगा और 60 घंटे का फील्ड प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण कम से कम 20 कार्य दिवसों में होगा। भूतपूर्व सैनिकों तथा भूतपूर्व पुलिस कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण 56 घंटे का होगा, जिसमें से 40 घंटे क्लास रूम प्रशिक्षण तथा 16 घंटे का फील्ड प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक

पूरा करने पर प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण संस्थान अथवा संगठन द्वारा पीएसएआरए—2005 के फार्म 4 में प्रमाण—पत्र प्रदान दिया जाएगा।

### **प्रशिक्षण (सुरक्षा गारद एवं पर्यवेक्षक) के विषय :**

सुरक्षा गारद के प्रशिक्षण में निम्नलिखित शामिल हैं :

- सार्वजनिक स्थानों पर कार्य
- सही ढंग से वर्दी पहनना
- शारीरिक स्वस्थता प्रशिक्षण
- शारीरिक सुरक्षा
- सम्पत्तियों की सुरक्षा
- भवनों या अपार्टमेंट की सुरक्षा, घरों की सुरक्षा
- निजी सुरक्षा
- अग्निशमन
- भीड़ नियंत्रण
- पहचान संबंधी कागजातों की जाँच जिनमें पहचान पत्र, पासपोर्ट तथा स्मार्ट कार्ड शामिल हैं
- अंग्रेजी अक्षरों तथा संख्याओं को पढ़ने और समझने की क्षमता क्योंकि साधारणतया दस्तावेजों, आयुध लाइसेंस, यात्रा दस्तावेजों की पहचान करने तथा सुरक्षा जाँच पत्रक को भरने में इसकी जरूरत होती है
- तात्कालिक विस्फोटक युक्तियों को पहचानने की क्षमता
- प्राथमिक चिकित्सा
- संकट प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंध
- रक्षात्मक ड्राइविंग (बख्तरबंद वाहनों (नकद धनराशि ले जाने वाले वाहन) के चालकों के लिए अनिवार्य)
- गैर—प्रतिबंधित हथियारों तथा आग्नेयास्त्रों का संचालन एवं प्रचालन
- भारतीय दण्ड संहिता – निजी रक्षा का अधिकार, आदि का प्रारंभिक ज्ञान
- पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कार्यपद्धति
- आयुध अधिनियम (केवल प्रचालन धाराएं)
- विस्फोटक पदार्थ अधिनियम (प्रचालन धाराएं)
- पुलिस तथा सैन्य बलों में रैंक के बैज
- जनता तथा पुलिस में प्रयोग किए जा रहे विभिन्न प्रकार

- के आयुधों की पहचान
- सुरक्षा उपकरणों तथा युक्तियों का प्रयोग
- नेतृत्व एवं प्रबंधन (केवल पर्यवेक्षकों के लिए)
- निगरानीए अज्ञात वस्तुओं का संचालन, तोड़फोड़ विरोधी जाँच करना, उपस्करों का संचालन और जिन्हें वैयक्तिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करना है उनके लिए विशेष आवश्यकताएँ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर प्रशिक्षण सुविधा की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया जाता है। ऐसा निरीक्षण वर्ष में कम से कम दो बार किया जाता है।

## अभ्यास

निजी सुरक्षा एजेंसियों तथा कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित पहलुओं पर कक्षा में चर्चा करें और विचार—विमर्श के निष्कर्षों को लिखें :

(क) निजी सुरक्षा के क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में क्या महिलाओं की भागीदारी में कोई वृद्धि हुई है?

---



---



---



---

(ख) जनता के बीच काम करने और विभिन्न परिस्थितियों को सम्भालने से संबंधित पहलुओं पर क्या विद्यमान निजी सुरक्षा कार्मिकों के लिए और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है?

---



---



---



---

## आकलन

### क. लघु उत्तर वाले प्रश्न

1. समाज में निजी सुरक्षा उद्योग की क्या भूमिका है?

.....  
.....  
.....

2. सुरक्षा गारदों के लिए प्रशिक्षण के कोई पाँच क्षेत्र लिखें।

- (क) .....  
(ख) .....  
(ग) .....  
(घ) .....  
(ड) .....

### ख. रिक्त स्थान भरें :

- पीएसएआरए का पूरा रूप है ..... एजेंसी  
(विनियमन) अधिनियम
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर प्रशिक्षण सुविधा की कार्यप्रणाली का निरीक्षण वर्ष में कम से कम ..... बार किया जाएगा।
- नए प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण की कुल अवधि ..... घंटे होगी जो कम से कम ..... कार्यदिवसों में होगा।

निम्नलिखित जांचसूची का उपयोग करते हुए देखें कि क्या आप आकलन गतिविधि के लिए सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं।

## आकलन गतिविधि के लिए जांचसूची

### भाग क

इनके बीच में अंतर

- (क) भौतिक सुरक्षा और निजी सुरक्षा
- (ख) हथियार अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम
- (ग) शिक्षा और प्रशिक्षण
- (घ) प्राधिकरण और सक्षम प्राधिकारी

### **भाग ख**

निम्नलिखित कक्षा में चर्चा करें

- (क) निजी सुरक्षा में विनियमों का महत्व क्या है?
- (ख) क्या पीएसएआरए अधिनियम, 2005 निजी सुरक्षा उद्योग में व्यावसायिकता बनाए रखने में उपयोगी रहा है ?

### **भाग ग**

#### **निष्पादन मानक**

निष्पादन मानकों में ये शामिल हैं किंतु इन तक सीमित नहीं हैं :

निष्पादन मानक	हाँ	नहीं
पीएसएआरए – 2005 के अनुसार सुरक्षा कर्मचारी का प्रशिक्षण		

## सत्र 4 : पीएसएआरए—2005 के अनुसार सत्यापन

### संगत ज्ञान

पीएसएआरए—2005 में निम्नलिखित दो प्रकार के पूर्ववृत्तों तथा चरित्र के सत्यापन के बारे में कहा गया है :

- किसी राज्य में निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने के लिए लाइसेंस का आवेदन करने वाले व्यक्ति।
- निजी सुरक्षा एजेंसी में नियुक्ति से पहले सुरक्षा गारद तथा पर्यवेक्षक।

नियंत्रण प्राधिकारी को नए लाइसेंस या नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाला/वाले व्यक्ति पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए पीएसएआरए—2005 के फार्म—1 में आवेदन करेगा/करेंगे। नियंत्रण प्राधिकारी आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए व्यौरों का सत्यापन करेगा और जिस स्थान पर निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा कार्यकलाप चलाने का प्रस्ताव किया गया है उस स्थान के 'उप पुलिस अधीक्षक' से अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करेगा। पुलिस द्वारा निम्नलिखित सूचना का सत्यापन किया जाता है :

- (क) क्या आवेदक/आवेदकों या कम्पनी ने कोई निजी सुरक्षा एजेंसी चलाई थी।  
(ख) क्या आवेदक/आवेदकों का सुरक्षा एजेंसी का कोई विशिष्ट अनुभव है।

किसी व्यक्ति को सुरक्षा गारद या पर्यवेक्षक नियुक्त करने से पहले, सुरक्षा एजेंसी द्वारा संबंधित व्यक्ति के चरित्र/पूर्ववृत्त का सत्यापन करने के लिए निम्नलिखित कार्यपद्धति अपनाई जाएगी :

- सुरक्षा एजेंसी द्वारा उपलब्ध माध्यमों के जरिए चरित्र तथा पूर्ववृत्त का सत्यापन स्वयं किया जाएगा।
- एजेंसी संबंधित व्यक्ति से अपने चरित्र तथा पूर्ववृत्त के समर्थन में प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहेगी।
- एजेंसी पीएसएआरए—2005 के फार्म—2 में पुलिस अधीक्षक (संबंधित व्यक्ति के स्थायी पते पर) को सत्यापन का अनुरोध निर्धारित शुल्क के साथ भेजेगी।

- पुलिस प्राधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट को सत्यापन माना जाएगा।

## अभ्यास

सत्यापन रिपोर्ट चरित्र तथा पूर्ववृत्त का सत्यापन फार्म प्राप्त होने के नबे दिनों के अन्दर जारी की जाती है और यह तीन वर्षों के लिए वैध होता है।

1. निम्नलिखित के बारे में पूर्ववृत्त के सत्यापन के संबंध में पीएसएआरए—2005 के प्रावधानों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें :

(क) निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने के इच्छुक व्यक्ति

.....  
 .....  
 .....  
 .....

(ख) निजी सुरक्षा एजेंसी में सुरक्षा कार्मिक के रूप में कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति

.....  
 .....  
 .....  
 .....

2. सुरक्षा गारद या पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति से पहले संबंधित व्यक्ति के चरित्र/पूर्ववृत्त के सत्यापन की प्रक्रिया क्या है?

.....  
 .....  
 .....  
 .....

## आकलन

### क. रिक्त स्थान भरें

- (क) पीएसएआरए-2005 के प्रावधानों के अनुसार, निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने के लिए लाइसेंस जारी करने के संबंध में किसी व्यक्ति के आवेदन पर उसके ..... तथा ..... के सत्यापन के पश्चात विचार किया जाएगा।
- (ख) पीएसएआरए-2005 के फार्म-1 का प्रयोग ..... के इच्छुक व्यक्ति के पूर्ववृत्त के सत्यापन के आवेदन के लिए किया जाता है।
- (ग) पीएसएआरए-2005 के फार्म-2 का प्रयोग ..... के इच्छुक व्यक्ति के पूर्ववृत्त के सत्यापन के आवेदन के लिए किया जाता है।
- (घ) सुरक्षा गारद या पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए जा रहे व्यक्ति का सत्यापन उसके स्थायी पते के ..... द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
- (ङ) सत्यापन रिपोर्ट चरित्र एवं पूर्ववृत्त फार्म प्राप्त होने के ..... दिनों के अन्दर पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी की जाएगी।
- (च) पुलिस द्वारा जारी सत्यापन रिपोर्ट ..... वर्षों के लिए वैध है।

## आकलन गतिविधि के लिए जांचसूची

निम्नलिखित जांचसूची का उपयोग करते हुए देखें कि क्या आप आकलन गतिविधि के लिए सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं।

### भाग क

- (क) जाली और अभिप्रमाणीकृत दस्तावेजों के बीच अंतर।

### भाग ख

निम्नलिखित कक्षा में चर्चा करें

- (क) एक व्यक्ति की पूर्ववृत्त के पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया।
- (ख) व्यक्ति की पूर्ववृत्त के सत्यापन से संबंधित पुलिस कर्मियों

के कर्तव्य ।

**भाग ग**

**निष्पादन मानक**

निष्पादन मानकों में ये शामिल हैं किंतु इन तक सीमित नहीं हैं :

निष्पादन मानक	हाँ	नहीं
व्यक्ति की पूर्ववृत्त सत्यापित करने के ज्ञान का प्रदर्शन ।		

## सत्र 5 : निजी सुरक्षा कार्मिकों की सेवाशर्तें

### संगत ज्ञान

निजी सुरक्षा कार्मिकों की नियुक्ति अधिकांशतः व्यावसायिक तथा औद्योगिक परिसरों में की जाती है। उनकी सेवा शर्ते मुख्यतया सामान्य श्रम कानूनों के अनुसार होती हैं। पीएसएआरए-2005 के अन्त में दिए गए अनुबंध के अनुसार, अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक संगठनों को निम्नलिखित श्रम कानूनों का अनुसरण करना चाहिए :

**मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 :** मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 द्वारा उद्योग में नियोजित कुछ श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में मजदूरी के भुगतान को विनियमित किया जाता है। इस अधिनियम का कार्यक्षेत्र ऐसे व्यक्तियों तक के लिए सीमित है जो प्रतिमाह अर्जित मजदूरी प्राप्त करते हैं, जिसकी राशि एक हजार छह सौ रुपए से अधिक नहीं है। विभाग इस कानून को पंजीकृत फैक्टरियों में नियोजित व्यक्तियों पर लागू करता है। अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं :

1. यह समय पर मजदूरी के भुगतान को विनियमित करता है, अर्थात् 1000 से कम कर्मचारियों का नियोजन करने वाली फैक्टरियों के मामले में मजदूरी के भुगतान की अवधि के अन्तिम दिन से 7वें दिन के बाद नहीं और 1000 से अधिक कर्मचारियों वाली फैक्टरियों के मामले में 10वें दिन।
2. मजदूरी का नकद भुगतान कार्य घंटों के अन्दर प्रचलित मुद्रा में किया जाएगा।
3. अर्जित मजदूरी से केवल प्राधिकृत कटौतियाँ की जा सकती हैं।
4. कर्मचारियों को मजदूरी की पर्ची दी जाएगी जिसमें उनकी अर्जित मजदूरी तथा भुगतान की गई मजदूरी के पूरे ब्यौरे दिए जाएंगे।
5. निर्दिष्ट नियमों के अनुसार दण्ड आरोपित किए जा सकते हैं।

**औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 :** औद्योगिक विवाद ऐसे विवाद होते हैं जो किसी औद्योगिक सम्पर्क में मतभेद के कारण उत्पन्न होते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 भारत में सभी औद्योगिक विवादों की जाँच-पड़ताल तथा निपटारा करने का मुख्य विधान है।

इस अधिनियम में ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों के दृष्टान्त दिए गए हैं जब हड़ताल या तालबन्दी कानूनी रूप में की जा सकती है, कब उन्हें अवैध या गैर-कानूनी घोषित किया जा सकता है, कर्मचारियों की छँटनी, कटौती, सेवामुक्ति या बर्खास्तगी की शर्त, किन परिस्थितियों में किसी औद्योगिक इकाई को बन्द किया जा सकता है और औद्योगिक कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं से संबंधित कई अन्य मामले बताए गए हैं।

**औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947** के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार के विभागीय उपक्रमों, प्रमुख बन्दरगाहों, खदानों, तेल क्षेत्रों, कैन्टूनमेंट बोर्डों, बैंकिंग एवं बीमा कम्पनियों, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, इण्डियन एअरलाइन्स, एअर इण्डिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, तथा सभी हवाई परिवहन सेवाओं के मामले में औद्योगिक विवादों की जाँच-पड़ताल तथा निपटारा करने के लिए उपयुक्त सरकार केन्द्र सरकार है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा संशोधित किया गया। यह संशोधन 15.9.2010 से लागू हुआ।

**न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 :** न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को विशेष रूप से असंघटित क्षेत्र के कर्मचारियों के हित के लिए अधिनियमित किया गया, जिसमें कुछ विशिष्ट रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का प्रावधान किया गया। यह नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को अधिनियम में समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार तथा राज्य

सरकार दोनों ही अपने—अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 'अनुसूचित रोजगारों' के मामले में न्यूनतम मजदूरी के भुगतान का निर्धारण, संशोधन, समीक्षा करने तथा लागू करने के लिए उपयुक्त सरकारें हैं।

केन्द्रीय क्षेत्र में 45 अनुसूचित रोजगारें हैं और राज्यों के क्षेत्र यह संख्या 1530 है।

**कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 :** भविष्य निधि से संबंधित विधान कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (ईपीएफ एण्ड एमपी अधिनियम) है। इस अधिनियम को लागू करने का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उनकी सेवा—निवृत्ति के बाद उनके भविष्य के लिए और निधन की स्थिति में उनके आश्रितों के लिए कुछ प्रावधान करना था। इस अधिनियम का उद्देश्य फैक्टरियों तथा अन्य प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, परिवार पेशन निधि तथा जमा राशि से जुड़ी बीमा निधि आरम्भ करने का प्रावधान करना है। यह कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को कर्मचारियों की वृद्धावस्था, सेवा—निवृत्ति, सेवामुक्ति, कटौती या निधन के जोखिमों के खिलाफ बीमा उपलब्ध कराता है। यह ऐसे प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए लागू है जो अधिनियम की अनुसूची 1 में निर्दिष्ट एक या अधिक उद्योगों के क्षेत्र में कार्यरत है या केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कोई कार्यकलाप और जिसमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं। इस अधिनियम का प्रबंध भारत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा किया जाता है। ईपीएफओ सदस्यों की संख्या की दृष्टि से और इसके द्वारा किए जा रहे वित्तीय लेन—देन की मात्रा की दृष्टि से विश्व का एक सबसे बड़ा भविष्य निधि संस्थान है। यह श्रम मंत्रालय के नियंत्रण के अन्तर्गत एक स्वायत्त त्रिपक्षीय निकाय है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका उद्देश्य अपने निरन्तर प्रयासों और अनुपालन के मानकों में निरन्तर रूप में किए जा रहे सुधार के जरिए सार्वजनिक रूप में प्रबंधित वृद्धावस्था आय सुरक्षा कार्यक्रमों की पहुंच एवं क्वालिटी का विस्तार करना और अपने सदस्यों को

आपूर्ति प्रणाली के लाभ पहुंचाना है।

### अनुबंधित श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970

अनुबंधित श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम का उद्देश्य अनुबंधित श्रमिकों के रोजगार को विनियमित करना है जिससे कार्य की परिस्थितियों तथा कुछ अन्य लाभों की दृष्टि से उसे प्रत्यक्ष रूप में नियोजित श्रमिकों के बराबर बनाया जाए। अनुबंधित श्रमिक का तात्पर्य ठेकेदारों द्वारा प्रयोक्ता उपक्रमों के लिए नियोजित कर्मचारियों से है।

इन कर्मचारियों की नियुक्ति आमतौर पर कृषि संबंधी कार्यों, वृक्षारोपण, निर्माण उद्योग, बन्दरगाहों एवं गोदियों, तेल क्षेत्रों, फैक्टरियों, रेलवे, जहाजरानी, एअरलाइन्स, सड़क परिवहन, आदि में की जाती है।

यह अधिनियम ऐसे प्रत्येक प्रतिष्ठान/ठेकेदार पर लागू है जहाँ बीस या अधिक कर्मचारी अनुबंधित श्रमिक के रूप में नियोजित हैं या पिछले बारह महीनों के दौरान नियोजित थे। प्रत्येक प्रतिष्ठान या ठेकेदार को, जिन पर यह अधिनियम लागू है, स्वयं को पंजीकृत करना होगा या ठेके पर काम करने के लिए लाइसेंस लेना होगा।

मजदूरी, कार्य के घंटे, कल्याण, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से अनुबंधित श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाती है। अनुबंधित श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में कार्य स्थल पर कैन्टीन, विश्राम कक्ष, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएँ तथा पेयजल जैसी मूलभूत जरूरतें शामिल हैं। मजदूरी तथा अन्य सुविधाओं के भुगतान का दायित्व मुख्यतः ठेकेदार का होता है और यदि उसके द्वारा भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में मुख्य नियोक्ता का होता है।

### समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 का उद्देश्य पुरुष तथा महिला कर्मचारियों को समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान करना और रोजगार के मामले में तथा उससे जुड़े मामलों या उसके प्रासंगिक मामलों में महिलाओं के

साथ लिंग की दृष्टि से किसी प्रकार के भेदभाव की रोकथाम करना है। इस अधिनियम के अनुसार, 'पारिश्रमिक' शब्द का अर्थ है 'किसी रोजगार या ऐसे रोजगार में किए गए कार्य के लिए नियोजित किसी व्यक्ति को मूल मजदूरी या वेतन तथा नकद राशि या वस्तु के रूप में देय किसी अतिरिक्त परिलक्षि का भुगतान है, यदि नियोजन के अनुबंध के स्पष्ट या निहित शर्तों को पूरा किया गया हो।' इस अधिनियम को कोई भी प्रावधान इनपर लागू नहीं होगा : (1) महिलाओं को विशेष प्राथमिकता देने वाले किसी कानून की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के कारण किसी महिला की नियुक्ति की शर्तों एवं निबंधनों को प्रभावित करने वाले मामले; या (2) बच्चे के जन्म या संभावित जन्म के संबंध में महिलाओं के लिए किए गए किसी विशेष प्रावधान, या सेवा—निवृत्ति, विवाह या मृत्यु से संबंधित शर्त एवं निबंधन अथवा सेवा—निवृत्ति, विवाह या मृत्यु के संबंध में किया गया कोई विशेष प्रावधान।

कर्मचारियों तथा उसके कल्याण से संबंधित अन्य कानून एवं अधिनियम भी हैं लेकिन उनका उल्लेख अधिनियम में नहीं किया गया है। उनमें से महत्वपूर्ण नीचे दिए अनुसार हैं :

- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923
- मातृत्व अधिनियम
- औद्योगिक स्थायी आदेश अधिनियम
- फैक्टरी अधिनियम, 1948

जबकि पीएसएआरए—2005 की अनुसूची में ऊपर उल्लिखित कुछ श्रम कानूनों का उल्लेख किया गया है, लेकिन कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि दूसरे लागू नहीं है। अतः शेष व्यवसाय तथा उद्योग के लिए लागू कानून सुरक्षा उद्योग के कर्मचारियों पर भी लागू हैं।

जहाँ तक मजदूरी का संबंध है, कुछ राज्यों ने वेतन बोर्डों का गठन किया है या सुरक्षा कार्मिकों के लिए विशिष्ट न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया है। नियोजन की योजना के अनुसार विभिन्न चौकियों पर नियोजित निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए निम्नलिखित में से कुछ ड्युटियों

का पालन करना अपेक्षित है :

- प्रवेश नियंत्रण / गेट-हाउस ड्यूटी
- स्वागत ड्यूटी
- एस्कॉर्ट ड्यूटी
- पे-गार्ड ड्यूटी
- वाहन नियंत्रण ड्यूटी
- परिधि सुरक्षा
- चौकी ड्यूटी / स्थल संरक्षण
- क्षेत्र संरक्षण ड्यूटी
- आपातकाल प्रबंधन
- प्राथमिक चिकित्सा का प्रावधान

सुरक्षा अधिकारी/गारद को अपनी तैनाती के स्थल पर कई संभावित सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

- अनधिकृत प्रवेश
- चोरी / लूट / डकैती
- हिंसा / आघात / हत्या / आत्महत्या
- दुर्घटना / घटना / आपात स्थिति
- खोई और पाई गई सम्पत्ति
- अरक्षित बच्चे
- यातायात नियंत्रण

### कोई कानूनी शक्तियाँ नहीं

यह उल्लेखनीय होगा कि निजी सुरक्षा कर्मचारियों को कुछ ऐसी ड्यूटियाँ करने की आवश्यकता हो सकती है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए परम अधिकार हैं। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें ऐसा करने की कानूनी शक्तियाँ नहीं हैं। इस कारण से भी यह आवश्यक है कि सुरक्षा कर्मचारी कुछ आपराधिक कानूनों तथा कार्य पद्धतियों की प्रचालन धाराओं से अवगत हों ताकि वे अपना कार्य सुचारू रूप में कर सकें।

सुरक्षा कर्मचारियों को मानव शरीर एवं सम्पत्ति के खिलाफ अपराधों तथा आईपीसी के सामान्य अपवादों (निजी रक्षा का अधिकार सहित) तथा गिरफतारी, गैर-कानूनी सभा और सीआरपीसी के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज करने से

संबंधित ज्ञान होना चाहिए।

जहाँ तक निजी सुरक्षा कार्मिकों द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों का नियंत्रण करने का संबंध है, उन्हें पुलिस, दमकल तथा अस्पताल/चिकित्सा सेवाओं की सहायता मिलनी चाहिए।

## अभ्यास

किसी ऐसे संगठन में जाएं जहां सुरक्षा कार्मिक नियोजित हैं। पर्यवेक्षक से निजी सुरक्षा के क्षेत्र में कानूनी ढांचे से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछें। प्रश्नोत्तर सत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार करें।

## आकलन

### क. लघु उत्तर वाले प्रश्न

1- कोई ऐसे 5 कानून बताएँ जिनका अनुपालन उन संगठनों के लिए करना जरूरी है जो पीएसएआरए—2005 के अन्तर्गत निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने का लाइसेंस लेना चाहते हैं?

.....  
.....  
.....  
.....

2- चौकियों पर सुरक्षा गारद द्वारा की जाने वाली विभिन्न ड्यूटियाँ क्या हैं?

.....  
.....  
.....  
.....

3- “भारतीय कानून के अन्तर्गत सुरक्षा कर्मचारियों की कोई शक्तियां नहीं हैं”। संक्षेप में टिप्पणी करें।

.....

## आकलन गतिविधि के लिए जांचसूची

निम्नलिखित जांचसूची का उपयोग करते हुए देखें कि क्या आप आकलन गतिविधि के लिए सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं।

### भाग क

मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के बीच अंतर

### भाग ख

निम्नलिखित कक्षा में चर्चा करें

(क) श्रम कानून जो निजी सुरक्षा कंपनियों पर लागू होते हैं।

### भाग ग

#### निष्पादन मानक

निष्पादन मानकों में ये शामिल हैं किंतु इन तक सीमित नहीं हैं :

निष्पादन मानक	हाँ	नहीं
सुरक्षा कर्मचारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की पहचान करने में सक्षम		

## शब्दावली

**अधिनियम** : एक ऐसा कानून जिसे संसद द्वारा पारित किया गया है।

**संशोधन विधेयक** : किसी विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया के दौरान उसमें आगे सुधार करने के उद्देश्य से उसके ब्यौरों अथवा प्रावधानों में कुछ परिवर्तन करना।

**विधेयक** : किसी नए कानून के लिए एक लिखित सुझाव जिसे देश की संसद के समक्ष इसके सदस्यों द्वारा उसपर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

**दस्तावेज** : ऐसे कागजात जिनकी कुछ प्रयोजनों से आवश्यकता है, या जो किसी घटना के साक्ष्य या प्रमाण देते हैं।

**अपहरण (हाइजैकिंग)** : मार्ग में गैर-कानूनी रूप में कब्जा करना (हवाई जहाज, जहाज या वाहन) और दूसरे गन्तव्य में चलने के लिए बाध्य करना अथवा अपने प्रयोजनों से उसका प्रयोग करना।

**जाँच-पड़ताल** : किसी परिस्थिति, अपराध, आदि के बारे में तथ्यों की सरकारी जाँच।

**कानून** : किसी विशेष अपराध, समझौता, आदि से संबंधित एक नियम।

**आदेश** : प्राधिकार के किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए कहा जाना।

**अध्यादेश** : कोई आदेश अथवा सरकार या प्राधिकार में किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई आदेश।

**संगठित अपराध** : आय का उपार्जन करने के माध्यम के रूप अवैध गतिविधियों से जुड़े षड्यंत्रपूर्ण उद्यम करना।

**आतंकवाद निरोधक अधिनियम** : ऐसा अधिनियम जो आतंकवादी कार्यकलापों से संदिग्ध रूप में जुड़े व्यक्तियों की स्वाधीनता को सीमित करने के लिए 'नियंत्रण आदेश' का प्रयोग करने की शक्तियाँ प्रदान करता है।

**अधिकार** : नैतिक रूप में अच्छा या स्वीकार्य; कानून के अनुसार सही या किसी व्यक्ति का कर्तव्य।

**जोखिम** : भविष्य में किसी समय कुछ बुरा होने की संभावना; एक ऐसी परिस्थिति जो खतरनाक हो सकती है या जिसका परिणाम खराब हो सकता है।

**नियम** : किसी विशेष परिस्थिति में आपको कुछ करने की सलाह देने का विवरण।

**धारा** : अधिनियम के वे भाग जिनमें उसे विभाजित किया जाता है।

**विशेष अधिनियम** : कोई विधायी कानून जो केवल किसी विशिष्ट व्यक्ति या क्षेत्र पर लागू होता है।

**गैर-कानूनी कार्यकलाप** : ऐसा कार्यकलाप जो कानून का उल्लंघन करके किया जाए या वैसा करने का आदेश दिया जाए जिसके लिए अपराध साबित होने पर दण्ड आरोपित किया जाता है।

**सत्यापन** : यह जांच करना कि कुछ सच या सही है।